संख्या- 18 /2026/585/77-6-2026/2013893

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 12-03-2026**

विषय:- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022 के अंतर्गत वृहद श्रेणी की 01 औद्योगिक इकाई को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-4203/इन्वेस्ट यू0पी0/उत्तम शुगर मिल्स/2025-26, दिनांक 06.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022 के अंतर्गत वृहद श्रेणी की 01 औद्योगिक इकाई को प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्य धनराशि स्वीकृति किये जाने का अनुरोध किया गया है, लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रूपये में)

क्रम संख्या	**औद्योगिक इकाई**	**अनुमोदित अनुमन्य धनराशि (10 वर्षो के लिए)**	**इकाई को वितरित की जाने वाली धनराशि**	**नोडल एजेन्सी (इन्वेस्ट यू0पी0) को देय प्रोसेसिंग राशि की प्रतिपूर्ति**	**प्रतिपूर्ति हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि (4+5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स प्रा0, सीतापुर**	5,72,28,059.02	56,83,276.00	39,530.00	57,22,806.00
		कुल योग (4+5)			**57,22,806.00**

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान लेखा-शीर्ष 2852- उद्योग, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 28- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की मानक मद-42 अन्य व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में प्राविधानित रू. 923.44 करोड़ के सापेक्ष रू. 57,22,806.00 (रू. सत्तावन लाख बाईस हजार आठ सौ छः मात्र) की धनराशि अंतरित किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों एवं इन्वेस्ट यू0पी0 के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि इन्वेस्ट यू0पी0 के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराए जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
10. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा इकाईयों की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 57,22,806 (रुपये सत्तावन लाख बाईस हजार आठ सौ छह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002800 उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या- 18 /2026/585(1)/77-6-2026/2013893 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 के इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-4203/इन्वेस्ट यू0पी0/उत्तम शुगर मिल्स/2025-26, दिनांक 06.03.2026 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,उद्योग निदेशालय, कानुपर।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in